

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :- महेश चन्द्र मान (R.A.S.)

दावा संख्या
28/2012

रजू दिनांक
02.03.2012
उनवान

निर्णय दिनांक
05.02.2018

- 1 देवकरण पुत्र भोलाराम जाति चमार निवासी सिहाली खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0)

—: वादी

बनाम

- 1 गंगाराम
- 2 गोरधन पुत्रान नत्थूराम जातियान अहीर निवासीयान सिहाली खुर्द तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज0)
- 3 राजस्थान लैण्ड हौल्डर जर्जे तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर (अलवर)
- 4 उप पंजियक महोदय मुण्डावर जिला अलवर (राज0)

—: प्रतिवादीगण

दावा:- इस्तरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज वो हु0ई0 दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज. काश्त. अधि. 1955

—: पर्चा डिक्री :- सिहाली खुर्द तहसील मुण्डावर जिला
दिनांक :- 05.02.2018

वादी की ओर से एडवोकेट श्री मदनलाल सांवरिया व प्रतिवादीगण की ओर से एडवोकेट श्री सतीश यादव-प्रथम की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 05.02.2018 को महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :-

वादी का वाद खारीज योग्य पाये जाने किये जाने की स्थिति में आराजी ख0नं0 1033 रकबा 0.96 है0 वाके ग्राम सिहाली खुर्द, तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत का वाद खारीज किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 05.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

05.02.2018
(महेश चन्द्र मान)
उपखण्ड अधिकारी (अलवर) राज0
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर